न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 याचिका निग-1891-PBR-16

प्रस्तुत द्वारा श्री मुकेश बेलापुरकर अधि.

14-6-16

लीलाबाई पति रामगोपाल कुलमी

निवासी–सिन्दोडा तह. व जिला-इन्दौर

विरूद्ध

1. दशरथ सिंह
2. लाखन सिंह पुत्रगण समदर सिंह

   निवासीगण–श्रीराम तलावली

3. विष्णु पिता जगन्नाथ कुलमी

   निवासी–सिन्दोडा तह.-जिला-इन्दौर

4. मौहम्मद अकरम पिता मौ. इशाक

   निवासी–8/2, मोती तबेला, इन्दौर

5. शबनम पति मौहम्मद अकरम शेख

   निवासी–8/2 मोती तबेला, इन्दौर

6. लक्ष्मीनारायण पिता रामचन्द्र कुमार

   निवासी–181 जवाहर मार्ग इन्दौर

7. हाईलीक विल्कान प्रा.लि. द्वारा वीरेन्द्र

   पिता छेंदीलाल गुप्ता

   निवासी–साधना नगर,

   एरोड्रम रोड, इन्दौर म.प्र.

14-6-16

तहसीलदार राऊ तहसील–इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 19/बी–121/2014–15 में की गयी कार्यवाही एवं आदेश दिनांक 04–06–2016 को म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपास्त किये जाने हेतु याचिका.

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1891–पीबीआर/16 जिला – इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–6–16	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0के0 वाजपेई उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया । 2/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । आवेदक ने तहसील न्यायालय की सम्पूर्ण आदेश पत्रिकाओं की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की हैं, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि संहिता की धारा 131 के अंतर्गत प्रकरण में कार्यवाही नहीं की गई है ना तो तहसीलदार ने स्वयं स्थल निरीक्षण किया है और ना ही पक्षकारों की साक्ष्य ली है । जन सुनवाई में प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुए राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जो प्रथमदृष्टया न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । दर्शित परिस्थिति में तहसीलदार, राऊ तहसील इंदौर द्वारा पारित आलोच्य आदेश अपास्त करते हुए उन्हें यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे स्वयं प्रश्नाधीन भूमियों का स्थल निरीक्षण उभयपक्षों की उपस्थिति में करें और उन्हें अपना पक्ष रखने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर प्रकरण का विधिवत निराकरण करें । यदि संभव हो तब दोनों पक्षों की सहमति लेकर पानी के निकास की ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था करें जिससे मूल आवेदनकर्ता की भूमि में पानी एकत्रित न हो एवं आवेदक की भूमि का भी उससे नुकसान न हो । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । अध्यक्ष	